न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 04 / 2023

प्रार्थी

धोपली पत्नी दूदाराम जाति सरगरा निवासी ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नरपतराम पुत्र भभूतराम
2. पप्पूदेवी पुत्री भभूतराम
3. समुदेवी पुत्री भभूतराम
4. उम्मेदराम पुत्र भोलाराम
5. चन्द्राराम पुत्र भोलाराम
6. जेठाराम पुत्र भोलाराम
7. मोहनलाल पुत्र भोलाराम
8. सुगनाराम पुत्र भोलाराम
9. हिम्मताराम पुत्र भोलाराम फौत के कायम मुकाम

9/1 मुलतानराम पुत्र हिम्मताराम
9/2 महेन्द्र पुत्र हिम्मताराम
9/3 लता पुत्री हिम्मताराम
9/4 गीता पुत्री हिम्मताराम
9/5 पिन्की पुत्री हिम्मताराम
9/6 मीरा पुत्री हिम्मताराम

10. तीजी पत्नी भोलाराम फौत के कायम मुकाम–

10/1 गुटीया पुत्री भोलाराम
10/2 जयरूप पुत्र खीयाराम
10/3 गीता पुत्री खीयाराम
10/4 पिस्ता पुत्री खीयाराम
10/5 मीमा पुत्री खीयाराम
10/6 रूकमा पुत्री खीयाराम
10/7 सुखा पुत्री खीयाराम
10/8 सोवनी पुत्री खीयाराम
10/9 जीया पुत्री हापूराम
10/10 बगदाराम पुत्र हापूराम
10/11 गोमती पुत्री कानाराम, जातियान प्रजापत निवासी ग्राम खेजडला, तह.बिलाडा

11. उदाराम पुत्र मोडाराम
12. मिश्रीराम पुत्र मोडाराम
13. हेमाराम पुत्र मोडाराम
14. सेणीदेवी पुत्री मोडाराम
15. हराराम पुत्र नैनाराम
16. जवरी पत्नी बीजाराम
17. राजूराम पुत्र बीजाराम
18. सम्पतराम पुत्र बीजाराम
19. सोहनलाल पुत्र बीजाराम

जातियान कुम्हार(प्रजापति) निवासीगण ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

20. गणपतलाल पुत्र रूपाराम
21. गोगादेवी पुत्री रूपाराम
22. मंगाराम पुत्र रूपाराम
23. मुन्नीदेवी पत्नी रूपाराम
24. लक्ष्मी देवी पुत्री रूपाराम
25. बाबूलाल पुत्र चुनाराम
जातियान सरगरा निवासीगण ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट।

अप्रार्थी संख्या 1 से 15 व 20 से 25 की ओर से श्री राजेन्द्रप्रसाद बोराणा एडवोकेट।

अप्रार्थी संख्या 16 से 19 की ओर से श्री जी.एल.कंसारा एडवोकेट।

अप्रार्थी संख्या 26 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–** 13/08/24

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की राजस्व ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 934/1 रकबा 1.1892 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। उपरोक्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खाता सं. 379 प्रमाणित प्रति पेश है। खसरा सं. 924 रकबा 0.5582 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय अप्रार्थी सं. 1 से 3, खसरा सं. 925 रकबा 0.6877 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा सं. 963 रकबा 1.7555 हेक्टयर किस्म बारानी तृतीय अप्रार्थी सं. 4 से 10, खसरा सं. 928 रकबा 0.8171 हेक्टयर किस्म बारानी द्वितीय अप्रार्थी सं. 11 से 15, खसरा सं. 929 रकबा 0.8737 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा सं. 964 रकबा 9.2694 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय अप्रार्थी सं. 16 से 19, खसरा सं. 933 रकबा 0.7362 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय अप्रार्थी सं. 20 से 25 की खातेदारी व कब्जा काश्त की स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं. 934/1 के उतर दिशा में स्थित खसरा सं. 933, 929, 928, 925, 924, 963, 964 के मध्य स्थित मांठ के दोनों ओर 6–6 फुट भूमि से खसरा सं. 886/1 रकबा 1.7474 हेक्टयर किस्म गै.मु. सडक तक आने जाने के रूप में कदीमी रास्ता का उपयोग उपभोग करते रहे है। परन्तु हाल ही में दिनांक 15.06.2023 को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा गै.मु.सडक के सहारे अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर सडक मार्ग के तरफ फाटक लगाकर ताला लगा दिया। जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत में वर्तमान में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी के खातेदारी भूमि के उतर में स्थित अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा सं. 933, 929, 928, 925, 924, 963, 964 से होते हुए सरकारी रेकर्डेड रास्ता खसरा सं. 886/1 तक आने जाने हेतु निकटतम विकल्प स्थित है। प्रार्थी के निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी से दर्शित किया गया है। खसरा सं. 925 व खसरा सं. 963 प्रतिवादी सं. 4 से 10 की खातेदारी की स्थित होने से अप्रार्थी सं. 4 व 10 को खसरा सं. 963 में आने जाने हेतु प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 934 की दक्षिणी सीमा तक रास्ता किया जाने पर प्रार्थी पूर्णरूप से सहमत है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के उतर दिशा में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से होने हुए खेजडला भागासनी जाने वाली गै.मु.सडक खसरा सं. 886/1 तक आने जाने हेतु निकटतम रास्ता है। प्रार्थी काश्त कार्य से वंचित रहने के कारण प्रार्थी अपनी भूमि का सार संभाल व पैदावार लेना मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूर्णीय हानी हो रही है जिसकी पूर्ति की जाना संभव नहीं है। प्रार्थी का मार्क ए, बी, सी, डी, रास्ता अत्यधिक आवश्यकता का मार्ग है। इसलिये प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध मार्क ए, बी, सी, डी रास्ता को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में मार्क ए, बी, सी, डी भूमि को दोनों ओर के खसरा से 6–6 फुट मिलातें हुए कुल 12 फुट रास्ता प्रार्थी को नियमानुसार मुआवजा राशि दिलाया जावे। प्रार्थी उक्त रास्ता भूमि का भुगतान नियमानुसार कररे को तैयार है। विवादग्रस्त भूमि मार्क ए, बी, सी, डी जो कि राजस्व ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निवेदन है कि राजस्व ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 934/1 में काश्त कार्य करने के लिये आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित खातेदारी भूमि में मध्य मांठ के दोनों ओर 6–6 फुट यानि कुल 12 फुट रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी भाग को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को फरमाया जावें। राजस्व ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा में स्थित अप्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 में वर्णित खातेदारी भूमि मध्य मांठ के दोनों ओर 6–6 फुट यानि कुल 12 फुट रास्ता मार्क ए, बी, सी,डी भाग रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तहसीलदार बिलाडा को फरमावें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं. 934/1 के उतर दिशा में स्थित अप्रार्थीगण की भूमि में मार्क ए, बी, सी, डी रास्ते के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व अवरोध न तो स्वयं पैदा करे तथा न ही अपने हाली एजेन्ट नौकर चाकर से करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं.1 से 15 व 20 से 25 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 16 से 19 की ओर से श्री जी.एल.कंसारा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 15 व 20 से 25 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पत्र का पद सं. 1 सही होने से स्वीकार है जिसमें प्रार्थी के नाम ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 934/1 रकबा 1. 1892 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुइ है। पद सं. 2 सही होने से स्वीकार है अप्रार्थी सं. 1 से 3 की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 924 रकबा 0.5582 हेक्टयर किस्म बारानी तृतीय है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 4 से 10 की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 925 रकबा 0.6877 हेक्टयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा सं. 963 रकबा 1.7555 हेक्टयर किस्म बारानी तृतीय है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 11 से 15 की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 928 रकबा 0.8171 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं 16 से 19 की खातेदारी भूमि खसरा सं. 929 रकबा 0.8737 हेक्टयर किस्म बारानी द्वितीय , खसरा सं. 964 रकबा 9.2694 हेक्टयर किस्म बारानी द्वितीय है इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 20 से 25 के खातेदारी भूमि खसरा सं. 933 रकबा 0.7362 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। प्रार्थना पत्र का पद सं. 3 सही होने से स्वीकार है यह कहना सही है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं. 934/1 के उतर दिशा स्थित खसरा सं. 933, 929, 928, 925, 924, 963, 964 के मध्य स्थित मांठ के दोनों ओर 6-6 फुट भूमि से खसरा स. 886/1 रकबा 1.7474 हैक्टयर किस्म गै.मु.सडक तक आने जाने के रूप में कदीमी रास्ता का उपयोग उपभोग करता रहा है। परन्तु अप्रार्थी सं. 16 से 19 द्वारा हाल ही में दिनांक 15.06.2023 को गै.मु.सडक के सहारे अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर सडक मार्ग के तरफ फाटक लगाकर ताला लगा दिया। जिससे प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण के भी अपने खातेदारी खेत में आने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

जाने हेतु एकमात्र बन्द हो गया। पद सं. 4 सही होने से स्वीकार है प्रार्थी के खातेदारी खेत मे वर्तमान में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु निकटतम रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि के उतर में स्थित अप्रार्थी सं. 1 से 15 व 20 से 25 के खातेदारी भूमि खसरा सं. 933, 928, 925,924, 963 के खातेदार अपनी भूमि में प्रार्थी के चाहे अनुसार रास्ता की भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहमत है एवं सरकारी रेकर्डेड रास्ता खसरा सं. 886/1 तक आने जाने हेतु कटाणी रास्ता तक सभी खातेदारों के आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इसलिये प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता नजरी नक्शा में मार्क ए. बी. सी. डी अनुसार कायम किया जावे। पद सं0 5 सही होने से स्वीकार है। पद सं. 6 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि से कटाणी रास्ता खसरा सं. 886/1 नजरी नक्शे में मार्क ए. बी. सी. डी निकटतम रास्ता है। प्रार्थी के व प्रार्थी के अलावा अन्य अप्रार्थीगण भी नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी रास्ते की जरूरी है। पद सं. 7 से 10 सही होने से स्वीकार है। अतः अप्रार्थी सं. 1 से 15 व 20 से 25 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे।

अप्रार्थी सं. 16 से 19 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद सं. 1 व 2 सही है। पद सं. 3 का जवाब इस कदर है कि अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 964 व 929 स्थित है। जिस पर अप्रार्थीगण बतौर कामिल मालिक की हैसियत से काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 964 व प्रार्थी के व अन्य खातेदारान की अलग अलग खसरान 933, 928, 925, 924, 963, 929 के बीच माठ स्थित है। अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 की माठ के चिपते ही उक्त वर्णित अन्य खसरान की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर रास्ता मौजूद है। इस प्रकार जब पूर्व में अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 964 की माठ की चिपते ही उपरोक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण के आने जाने हेतु मौके पर रास्ता मौजूद होने की बावजूद भी प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 964 में से माठ के चिपते नया रास्ता निकालने एवं राजस्व रेकर्ड में नया राजकीय रास्ता घोषित करवाने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने मात्र अप्रार्थी सं. 16 से 19 को तंग/परेशान करने एवं अपनी हठधर्मिता व जोर जबरदस्ती से गलत

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

एवं गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 की खातेदारी की भूमि में से अवैध रूप से रास्ता निकालने के यह मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है। पद सं. 4 में उल्लेखित कथन गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रार्थी को अपने खातेदारी की खेत में आने जाने हेतु पूर्व से अन्य खसरान नंबर 933, 928, 925, 925, 963, 929 की भूमि में से रास्ता मोजूद है उसके बावजूद भी प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 964 में नये सिरे से नया रास्ता निकालने के लिए गलत नजरी नक्शा बनाकर यह मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानूनन काबिल खारिज के है। पद सं. 5 का जवाब इस कदर है कि प्रार्थी ने गलत व मिथ्या एवं झूठे कथन बताकर ये मनगढत कथनों के आधार यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि मौके पर पूर्व में अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 964 की भूमि के माठ के चिपते ही प्रार्थी के खेत में जाने के लिए पूर्व से ही रास्ता मौजूद है इसलिए प्रार्थी नये सिरे से अप्रार्थी सं. 16 से 19 की खातेदारी की भूमि में से नया रास्ता प्राप्त करने का कोई अधिकारी नहीं है। पद सं. 6 में उल्लेखित कथन गलत व मिथ्या व मनगढन्त होने से अस्वीकार है प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए पूर्व से ही मौके पर रास्ता मौजूद होने के बावजूद भी प्रार्थी को अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 964 की भूमि के माठ की भूमि के चिपंते नया रास्ता निकलवाने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनन विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। प्रार्थना पत्र के पद सं. 7का जवाब इस कदर है कि प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए पूर्व से ही मौके पर रास्ता मौजूद होने के बावजूद भी प्रार्थी को अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 964 की भूमि के माठ की भूमि के चिपते ही 06 फीट चौडा नया रास्ता निकलवाने का अधिकारी नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनन विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है यदि प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 16 से 19 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 964 की रास्ते की भूमि चाहिए तो उस रास्ते की भूमि को भुगतान वर्गफीट रूपयेां की दर से तय किया जावें। पद सं. 8 व 9 कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 की ओर से निवेदन है कि मौके पर पूर्व में अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 964 की भूमि के माठ के चिपते ही प्रार्थी के खेत में जाने के लिए पूर्व से ही रास्ता मौजूद जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पढने से स्पष्ट साबित है इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण सं. 16 से 19 की खातेदारी की

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

भूमि खसरा नम्बर 964 में से नया रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी खर्चे हर्जे से खारिज फरमावें। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षक पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 10 के कायम मुकाम द्वारा रास्ते के लिए नो आब्जेक्शन के साथ सहमति प्रदान की है।

अप्रार्थी सं. 26 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में खसरेवार निम्न प्रकार रकबा जायेगा जिसकी वर्तमान डीएलसी अनुसार दो गुणा राशि निम्नानुसार है सूची संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक रणंसीगांव रिपोर्ट में वर्णित संलग्न है। उक्त भूमि असिंचित है तथा ख.नं. 924 डामर सडक पर है शेष खसरे डामर सडक से दूर है। वांछित रास्ते की भूमि की डी.एलसी.दर की दुगुगी राशि का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित है

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा उपयोग हेतु रकबा	प्रार्थी का हिस्सा	वर्तमान डी. एल.सी. दर	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत
1.	नरपतराम पुत्र भबूतराम कुम्हार सा.देह	924	2 बिस्वा	1/3 हिस्सा	385349 प्रति हैक्टयर	4160/–
2	पप्पूदेवी पुत्री भबूतराम कुम्हार सा.देह	924	2 बिस्वा	1/3 हिस्सा	385349 प्रति हैक्टयर	4160/–
3	समूदेवी पुत्री भबूतराम कुम्हार सा.देह	924	2 बिस्वा	1/3 हिस्सा	385349 प्रति हैक्टयर	4160/–
4	उम्मेदराम पुत्र भोलाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	11/70 हिस्सा	221501 प्रति हैक्टयर	845/–
5	गुटीयादेवी पुत्री भोलाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	1/70 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	80/–
6	गीता पुत्री खीयाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	1/490 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	10/–
7	गीता पुत्री हिम्मताराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	11/420 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	140/–
8	गोमती पुत्री कानाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	1/70 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	80/–

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

9	चन्द्राराम पुत्र भोलाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	11/70 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	845
10	जेठाराम पुत्र भोलाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	11/70 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	845
11	जयरूप पुत्र खीयाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	1/490 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	10
12	जीया पुत्री हापूराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	1/140 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	40
13	पिंकी पुत्री हिम्मताराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	11/420 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	140
14	पिस्ता पुत्री खीयाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	1/490 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	10
15	बगदाराम पुत्र हापूराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	1/140 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	40
16	मुल्तानराम पुत्र हापूराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	11/420 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	140
17	महेन्द्र पुत्र हिम्मतराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	11/420 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	140
18	मीमा पुत्री खीयाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	1/490 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	10
19	मीरा पत्नी हिम्मताराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	11/420 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	140
20	मोहनलाल पुत्र भोलाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	11/70 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	845
21	रूकमा पुत्री खीयाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	1/490 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	10
22	लता पुत्री हिम्मताराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	11/420 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	140
23	सुखा पुत्री खीयाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	1/490 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	10
24	सुगनाराम पुत्र भोलाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	11/70 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	845
25	सोवनी पुत्री खीयाराम कुम्हार सा.देह	925	1.10 बिस्वा	1/490 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	10
26	उदाराम पुत्र मोडाराम कुम्हार सा.देह	928	2.00 बिस्वा	1/8 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	900
27	मिश्रीलाल पुत्र मोडाराम कुम्हार सा.देह	928	2.00 बिस्वा	1/8 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	900
28	सेणीदेवी पुत्री मोडाराम कुम्हार सा.देह	928	2.00 बिस्वा	1/8 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	900
29	हेमाराम पुत्र मोडाराम कुम्हार सा.देह	928	2.00 बिस्वा	1/8 हिस्सा	221501 प्रति	900

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

					हेक्टयर	
30	हराराम पुत्र नेनाराम कुम्हार सा.देह	928	2.00 बिस्वा	1/2 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	3590
31	जवरी पत्नी बीजाराम कुम्हार सा.देह	929,964	1.10बिस्वा, 9.00बिस्वा	1/4 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	9410
32	राजूराम पुत्र बीजाराम कुम्हार सा.देह	929,964	1.10बिस्वा, 9.00बिस्वा	1/4 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	9410
33	सोहनलाल पुत्र बीजाराम कुम्हार सा.देह	929,964	1.10बिस्वा, 9.00बिस्वा	1/4 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	9410
34	गणपतलाल पुत्र रूपाराम सरगरा सा.देह	933	2.00 बिस्वा	1/10 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	720
35	गोगादेवी पुत्री रूपाराम सरगरा सा.देह	933	2.00 बिस्वा	1/10 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	720
36	बाबूलाल पुत्र चुनाराम सरगरा सा.देह	933	2.00 बिस्वा	1/2 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	3590
37	मंगलाराम पुत्र रूपाराम सरगरा सा.देह	933	2.00 बिस्वा	1/10 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	720
38	मुन्नीदेवी पत्नी रूपाराम सरगरा सा.देह	933	2.00 बिस्वा	1/10 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	720
39	लक्ष्मीदेवी पुत्री रूपाराम सरगरा सा.देह	933	2.00 बिस्वा	1/10 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	720
40	सम्पतराम पुत्र बीजाराम कुम्हार सा.देह	929,964	1.10बिस्वा, 9.00बिस्वा	1/4 हिस्सा	221501 प्रति हेक्टयर	9410

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार खेत में जाने हेतु खसरा नम्बर 924, 925, 928, 929, 964, 933 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. को पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर संशोधित वाद शीर्षक शामिल पत्रावली किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 1 से 25 को अदा करने को तैयार है। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम खेजडला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 934/1 रकबा 1.1892 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर खसरा नम्बर 924, 925, 928, 929, 964, 933 के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 934/1 में पहुचता है मौका कमीश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होती है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 934/1 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक भावी के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 से 25 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी सं. 1 से 25 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 14.06.2024 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा